



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ, उ०प्र०।
Email Id: jdvitallkoup@gmail.com, jdvital-mhfw.ln@up.gov.in

Contact No: 0522-2201742

सेवा में,

अति महत्वपूर्ण/ई०मेल द्वारा।

1. समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/
जिला अधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)-ग्रामीण क्षेत्र/
जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।

पत्र संख्या:

24फ/वी०एस०/(सर्कुलर-92)-26/2026/2743

लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2026

विषय:

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित-2026) की धारा-13 (3) में विलम्बित पंजीकरण की संशोधित प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 1/7/2025-VS-(CRS)/2755, दिनांक: 22.09.2026 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 की धारा-13 में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम-2026 (संख्या: 12, वर्ष: 2026) के माध्यम से भारत के राजपत्र संख्या: सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275249, दिनांक: 06.08.2026 के द्वारा संशोधित किया गया है, संशोधित अधिनियम-2026 {विलम्बित पंजीकरण की धारा-13 (3)} के प्राविधान भारत के राजपत्र संख्या: सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276259, दिनांक: 16.09.2026 (प्रति संलग्न) के अनुसार दिनांक: 01, अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होंगे।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 की धारा-13 (3) में संशोधन विलम्बित पंजीकरण के लिए आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

1. किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना यदि एक वर्ष के बाद लेकिन उसके घटित होने के दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला रजिस्ट्रार या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा।
2. किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत आदेश पर ही किया जाएगा।

उक्त के अनुपालन में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित-2026) की धारा-13 (3) में संशोधित विलम्बित पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय अधिसूचना उ०प्र०शासन के स्तर से यथाशीघ्र निर्गत कर दी जाएगी, भारत सरकार के पत्र दिनांक: 22.09.2026 तथा निर्गत केन्द्रीय अधिसूचनाओं की प्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं पंजीयन प्रक्रिया किए जाने हेतु समस्त जनपदीय अधिकारियों को परिवर्तित व्यवस्था से अवगत कराते हुए जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य सुनिश्चित कराए तथा कृत कार्यवाही से अवगत भी कराए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(डा० पवन कुमार अरूण),
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/
महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०।

(कमश: 2)



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ, उ०प्र०।
Email Id: jdvitallkoup@gmail.com, jdvital-mhfw.lu@up.gov.in Contact No: 0522-2201742

-2-

पृष्ठांकन संख्या: 24फ/वी०एस०/(सर्कुलर-92)-26/2026/2744-52 उक्तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकीय कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, जनगणना कार्य निदेशालय, उ०प्र०, जनगणना भवन, प्लॉट न०: सीसी-1, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ-226024.
2. उपमहारजिस्ट्रार (सी०आर०एस०), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन प्रणाली, जनगणना भवन, 2/ए-मान सिंह रोड, नई दिल्ली-110011.
3. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, (चिकित्सा अनुभाग-7), लात बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (स्थानीय निकाय)/अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)-नगरीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, प्लॉट संख्या: 18, सेक्टर-7, गोमती नगर, लखनऊ।
6. निदेशक (पंचायतीराज)/अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)-नगरीय क्षेत्र, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०, प्लॉट संख्या: 6, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ।
7. समस्त अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
8. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

(डा० मुकेश भास्करनहलिया),
उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/
संयुक्त निदेशक (वी०एस०),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०।



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय/MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
Office of the Registrar General, India
नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011
Civil Registration System, 2/ A Man Singh Road,
New Delhi-110011, Email- drg-crs.rgi@nic.in

F.No. 1/7/2025-VS-(CRS)/2755

Date: 22nd September, 2026

To,

The Chief Secretary,
(All States/UTs)

Subject: Notifications regarding Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026.

Sir/ Madam,

The registration of births and deaths is mandatorily done under the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969. The Act is administered by the Office of the Registrar General of India (ORGI), Ministry of Home Affairs at Centre and implemented by the State Governments / Union Territories Administrations throughout the country in accordance with the Rules framed by respective States.

2. Section 13 of the RBD Act, 1969 has been amended through the Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 (No. 12 of 2026), published in the Gazette of India on 6th August, 2026. The provisions of the amended Act shall come into force with effect from 1st day of October, 2026 (Gazette of India, No. 4890 dated 16th September, 2026). Copies of both the aforesaid Gazette Notifications are attached for ready reference.

3. The amendment in section 13(3) of the RBD Act, provides the order issuing authority for delayed registration as follows:

- i. Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year but within two years of its occurrence, shall be registered only on an order made by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate authorized by the District Magistrate.
- ii. Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after two years of its occurrence, shall be registered only on an order made by a Judicial Magistrate of the first class.

4. In view of the above, it is requested to issue necessary directions to the concerned authorities to take appropriate action.

Yours faithfully

Enclosures: As above



(A.K. Pandey)

Deputy Registrar General (CRS)

Mobile No. 9811205709

Email Id: akpandey.rgi@gov.in

Copy forwarded to:

- i. Principal Secretaries of Nodal Department
- ii. The Chief Registrar of Births & Deaths (All States & UTs).
- iii. The Director, Directorate of Census Operations (All States/UTs) for follow up with the State Government.



(P.P. Bhadra)

Assistant Registrar General (Demo)

Mobile No. 9818780978

Email Id: ppbhadra.rgi@gov.in



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275249
CG-DL-E-06082026-275249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड I

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 06, 2026/श्रावण 15, 1948 (शक)
No. 27] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 06, 2026/SRAVANA 15, 1948 (Saka)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 6th August, 2026/Sravana 15, 1948 (Saka)

THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT)
ACT, 2026

No. 12 OF 2026

[6th August, 2026.]

An Act further to amend the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026.

Short title and
commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Registration of Births and Deaths Act, 1969, in section 13, for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

Amendment of
section 13

‘(3) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year but within two years of its occurrence, shall be registered only on an order made by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate authorised by the District Magistrate, having jurisdiction over the area where the birth or death has taken place, after verifying the correctness of the birth or death and on payment of such fee as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “Executive Magistrate” means the Executive Magistrate appointed under sub-section (1) of section 14 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

46 of 2023.

(3A) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after two years of its occurrence, shall be registered only on an order made by a Judicial Magistrate of the first class, having jurisdiction over the area where the birth or death has taken place, after verifying the correctness of the birth or death and on payment of such fee as may be prescribed.’

DR. RAJIV MANI,
Secretary to the Govt. of India.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276259
CG-DL-E-16092026-276259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4890]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4890]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5081(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 12) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अक्टूबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/7/2025-वीएस(सीआरएस)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

S.O. 5081(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 (12 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2026, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/7/2025-VS(CRS)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General of India and Census Commissioner